सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लिये:

सरकारी कॉलेजों में सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण से संबंधित मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2020-21 के लिये सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों (Doctorate of Medicine/DM and Master of Chirurgiae/M. Ch.) में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

प्रमुख बिंदु

- अगस्त 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को इन-सर्विस डॉक्टरों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातकोत्तर (PG) डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी।
- निर्णय में कहा गया कि राज्य को **सूची-III की प्रविष्टि 25** के तहत स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिये प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।
    - **सूची-III की प्रविष्टि संख्या 25:** शिक्षा (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित) संबंधी प्रावधान प्रविष्टि संख्या 63, 64, 65 के विषय हैं।
        - संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को सातवीं अनुसूची के तहत तीन स्तरों पर विभाजित करता है, जो सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) में वर्णित हैं।
- नवंबर 2020 में, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिये राज्य के इन-सर्विस उम्मीदवारों की काउंसलिंग कर इसे भरने की अनुमति दी।
    - ये सीटें उन उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी जो **NEET- सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (SS)** में सफल हुए हों। इसके लिये **चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की चयन समिति** मेरिट सूची तैयार करेगी और काउंसलिंग आयोजित करेगी।
    - राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार में **सुपर-स्पेशलाइज़्ड योग्य डॉक्टरों की अत्यंत आवश्यकता** थी।
    - DM/M. Ch. पाठ्यक्रमों में 50% सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित किये जाने के बाद शेष सीटों को **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS)** को सौंप दिया जाएगा।
        - DGHS सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-भाल से संबंधित तकनीकी ज्ञान का भंडार है। यह **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न संगठन** है।
- डॉक्टरों सहित NEET 2020 में सफल होने वाले PG धारकों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये किसी भी प्रकार के आरक्षण की कोई अवधारणा विद्यमान नहीं है।
    - निर्णय को चुनौती देने वाले डॉक्टरों ने **प्रीति श्रीवास्तव (डॉ.) बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1999** मामले में दिये गए फैसले का उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि **"योग्यता और केवल योग्यता ही सुपर-स्पेशियलिटी स्तर पर प्रवेश का आधार है"।**
- उनके द्वारा की गई अपील में तर्क तर्क दिया गया कि राज्य का आदेश **2019 के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमों** (Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations of 2019) के विपरीत था, जिसमें यह कहा गया था कि DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिये।
    - ये विनियम केंद्र और राज्य सरकारों के **सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा नगर निकायों एवं न्यासों आदि द्वारा स्थापित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों** में सभी सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिये काउंसलिंग आयोजित कराने हेतु **DGHS को सशक्त बनाते हैं।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reservation-in-super-speciality-medical-courses-sc